पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 85/2018

अनवान :

1. अहसान मोहम्मद पुत्र सुजावल खां जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र ओमप्रकाश महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. शेरसिह पुत्र बिहारीलाल गुसाई निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
3. मदनगोपाल पुत्र मुरारीलाल महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. शंकरलाल पुत्र नोरंगराय महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
5. सजन पुत्र नोरंगराम महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
6. मधु सर्राफ पत्नी विजयकुमार सर्राफ निवासी भादरा तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 6 श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादीया सं0 6 साबित न होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 85/2018

अनवान :

1. अहसान मोहम्मद पुत्र सुजावल खां जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र ओमप्रकाश महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. शेरसिह पुत्र बिहारीलाल गुसाई निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
3. मदनगोपाल पुत्र मुरारीलाल महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. शंकरलाल पुत्र नोरंगराय महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
5. सजन पुत्र नोरंगराम महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।
6. मधु सर्राफ पत्नी विजयकुमार सर्राफ निवासी भादरा तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **वादी**

वकील श्री विक्रम शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 6**

निर्णय **दिनांक :** 11.6.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की रेाही मौजा चक 10 बारानी भादरा के मु0नं0 34 के किला नं0 23/1 की 0.025 है0 किला नं0 24/2 में 0.127 है0 मु0नं0 35 के किला नं0 13 व 18 प्रत्येक की 0.253 है0 — 0.253 है0 किला नं0 19/1 की 0.158 है0 किला नं0 20/1 की 0.158 है0 किला नं0 21/1 की 0.025 है0 किला नं0 22/1 की 0.051 है0 किला नं0 14/2 की 0.105 है0 किला नं0 17/2 की 0.106 है0 मु0नं0 51 के किला नं0 9/1 की 0.025 है0 मु0नं0 52 के किला नं0 1/2 की 0.025 है0 किला नं0 2/3 की 0.038 है0 कुल किता 13 की 1.349 है0 खातेदारी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 की मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है जिसमें वादी का 0.4297 है0 प्रतिवादी मोहनलाल का 0.2078 है0 प्रतिवादी मांगीलाल के नाम से 0.2708 है0 प्रतिवादी शंकरलाल के नाम से 0.090 है0 प्रतिवादी शेरसिंह के नाम से 0.287 है0 खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के नाम दर्ज उक्त खातेदारी के चिपते हुये ही चक 10 बारानी के मु0नं0 34 के किला नं0 24/1 की 0.126 है0 (0.101 है0 बारानी, 0.025 है0 रास्ता, किला नं0 16/1 की 0.158 है0 बारानी किला नं0 25 की 0.253 है0, 0.228 है0बारानी एवं 0.025 है0 रास्ता की कृषि भूमि प्रतिवादी मधु के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी एवं वादी के सहखातेदारान प्रतिवादीगण की खातेदारी चक 10 बारानी के मु0नं0 34 के किला नं0 23/1 की 0.025 है0 में से 0.002 है0 व प्रतिवादी

मधु के नाम दर्ज खातेदारी मु0नं0 34 के किला नं0 24/1 में 0.025 है0 व किला नं0 25 में 0.025 है0 गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है। वादी एवं वादी के सहखातेदारान की दूसरे खाते की मु0नं0 35 के किला नं0 21/2 में दर्ज 0.025 है0 एवं किला नं0 22/2 में दर्ज 0.025 है0 गैरमुमकिन रास्ता दर्ज चला आ रहा है। चक 10 बारानी के मु0नं0 34 के किला नं0 2 ता 25 व मु0नं0 35 के किला नं0 21 व 22 में पत्थर लाईन पर कभी कोई रास्ता अस्तित्व में नहीं रहा है तथा ना ही उक्त रास्ता मौके पर चालू है तथा ना ही उक्त रास्ता की कोई आवश्यकता है।

चक 10 बारानी के ही मु0नं0 27 में ब्राहम्ण धर्मशाला के लिऐ दी हुई भूमि है तथा उक्त धर्मशाला की भूमि में आवागमन के लिऐ मु0नं 35 के किला नं0 22 व 23 की बीचों बीच किला लाईन से दक्षिण से उतर के लिये करीब 30 फिट चोड़ा रास्ता दिया हुआ है जो मौका पर चालू है तथा वहीं से आवागमन हो रहा है तथा उक्त रास्ता आम रोड़ हिसार भादरा से मिलता है। वादी व प्रतिवादीगण जो वादी के सहखातेदारान है, की भूमि में से प्रतिवादी मधु सर्राफ का कभी कोई आवागमन नहीं रहा है तथा प्रतिवादी मधु सर्राफ के पास भी मु0नं0 34 के अलावा मु0नं0 52 में भी उसकी खातेदारी है जो भादरा हिसार रोड़ के लगता है। इस प्रकार प्रतिवादी मधु सर्राफ व अन्य प्रतिवादीगण को मु0नं0 34 के किला नं0 23 ता 25 व मु0नं0 25 के किला नं0 21 व 22 के पत्थर पर से जो रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्शाया गया है वह कभी अस्तित्व में नहीं रहने एवं कभी चालू नहीं रहने तथा उक्त भूमि सदामत से वादी एवं उसे सहखातेदारान की खातेदारी का भाग होने के कारण उक्त भूमि गैरमुमकिन रास्ता की ना होकर खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में राजस्व विभाग के कर्मचारिगण एवं अधिकारियों की गलती एवं लापरवाही के चलते उक्त खातेदारी में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया था जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने जबाबदावा व प्रतिवादीया सं0 6 जबाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादभूमि चक 10 बारानी के मु0नं0 24 के किला नं0 23/1 मु0नं0 35 के किला नं0 21/2 व 22/2 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता को हटवाने का वादी अधिकारी है ?

   — वादी

2. आया वादभूमि चक 10 बारानी के मु0नं0 34 के किला नं0 24/1 व 25 में दर्ज राजस्व रिकार्ड में रास्ता को हटवाने की प्रतिवादी मधु सर्राफ अधिकारी है ?

   — प्रतिवादी सं0 6

3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में अहसान मोहम्मद के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यफोटो प्रतिलिपि जमबन्दी चक 10 बारानी खाता सं0 15/14 सम्वत् 2074–77 प्रदर्श 1, रिपोर्ट पटवारी हल्का रामगढिया प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

साक्ष्य प्रतिवादी में मधु सर्राफ के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति जमाबन्दी चक 10 बारानी खाता सं0 150/129 सम्वत् 2074–77 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई।

बहस सुनी गई। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 10 बारानी के मु0नं0 34 के किला नं0 23/1 व मु0नं0 35 के किला नं0 21/1 व 22/2 में रिकार्ड में दर्ज गै0मु0 रास्ता पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। प्रतिवादीया सं0 6 ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर गै0मु0 रास्ता पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई। दोनों तनकीयात का मूल विवाधक बिन्दू समान है केवल रकबा खसरा नं0 व किला नं0 भिन्न–भिन्न है, इसलिए दोनों तनकीयात की एक साथ विवेचना किया जाना उचित है। पक्षकारान ने पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता है कि उक्त रास्ता का अंकन राजस्व विभाग द्वारा गलत तरीके से कर दिया गया था व अब पक्षकारान उक्त रास्ता का इन्द्राजात हटवाकर उस पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकार रखते है। तहसील भादरा द्वारा पटवारी हल्का रामगढिया द्वारा तैयार करवा कर भिजवाई गई मौका रिपोर्ट में रास्ता जिस पर खातेदारी चाही गई है मौके पर चालू नहीं होना बताया। इस तथ्य के साथ यह तथ्य भी रिपोर्ट में अंकित है कि मौके पर चारदीवारी बनी हुई है अर्थात् यह माना जा सकता है कि रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर चारदीवारी बनाई गई है जिससे रास्ता अवरूद्ध होने के कारण वर्तमान में चालू नहीं है। उक्त रास्ता के दक्षिणी तरफ मु0नं0 57 के काश्तकार है जिनका भी उक्त रास्ता को उपयोग करने का अधिकार है।

माननीय राजस्व मण्डल ने रमेशचन्द्र बनाम मोहरसिंह निर्णय दिनांक 28.08.17 आरआरटी 2018(1) पेज नं0 592 से 595 में पृष्ठ सं0 594 पर पैरा सं0 7 में अंकित किया है कि **"विवादित आराजीयात रास्ते की भूमि है एवं ऐसे गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार दिए जा सकते है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24 मार्च 2009 मुन्नालाल बनाम राज्य सरकार के मामले में खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 503/99 में यह अभिनिर्धारित किया है गैर मुमकिन रास्ते की भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं है और ऐसी भूमियों के आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। रास्ते की भूमि आम व्यक्ति के काम आने वाली भूमि है इस तथ्य से कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि आवंटित की गई भूमि पर खातेदारी अधिकार मिल चुके है एवं एक बार खातेदारी अधिकार मिलने के बाद पुनः इसका आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। गलत आवंटन को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ आर.बी.जे. 2013 पृष्ठ 309 में भी यही निर्धारित किया है कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर खातेदारी अधिकर नहीं दिए जा सकते है।**

इसी प्रकार राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 3 फरवरी, 2009 सरकार बनाम लक्ष्मी व अन्य के मामले में यह स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक रास्ते की भूमि को आवंटित नहीं किया जा सकता है। गैरमुमकिन रास्ते का भूमि की न तो नियमन किया जा सकता है न ही उस पर खातेदारी अधिकार दिऐ जा सकते है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए है।

गैर मु0 रास्ता सार्वजनिक रास्ता है जिस पर सभी व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार होता है, भले ही वे उस रकबे के काश्तकार न हो। मात्र जमाबन्दी के खाते विशेष में उसका अंकन होने से उस पर उस खाता विशेष के काश्तकारों का अधिकार सृजित नहीं हो जाता है। रिकार्ड में दर्ज व मौके पर कायम रास्ते वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ीयों के लिए आवश्यक व उपयोगी है, इसलिए सार्वजनिक रास्ता की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपयुर्क्त विवेचन से वादी व प्रतिवादीया सं0 6 अपनी अपनी तनकी साबित करने में असफल रहे है। तनकी सं0 1 वादी के विरूद्ध तय की जाती है व तनकी सं0 2 प्रतिवादीया सं0 6 के विरूद्ध तय की जाती है।

वाद वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादीया सं0 6 साबित न होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़